

जीत जाने वालों की तादाद

जहां तक भारत की मौजूदा स्थिति का सवाल है तो जापानी सिक्योरिटीज रिसर्च फर्म नोमुरा की हालिया स्टडी गौर करने लायक है। दुनिया के कुल 45 निवेश ठिकानों की इस स्टडी रिपोर्ट में वहां लॉकडाउन हटाने के क्रम में पैदा हो रही स्थितियों का जायजा लिया गया है।


मोहन भट्ट |

कोरोना का कहर शुरू होने के बाद से बीते बुधवार को पहली बार इस महामारी से लड़कर जीत जाने वालों की तादाद (1,35,205) इसके चंगुल में फंसे लोगों (1,33,632) से ज्यादा दर्ज की गई। इस बात के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन क्या इस आधार पर यह नतीजा निकालना उचित होगा कि भारत में महामारी का जोर अब

हाना की नारता न नहानारा का जार अब
कम होना शुरू हो गया है?
इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए
हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा।
पहला यह कि रोज आने वाले मामलों में
कमी का कोई रुझान दिख रहा है या
नहीं। साफ है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा।
मई के अंत में रोजाना औसतन पांच
हजार मामले आने शुरू हुए तो घबराहट

सी होने लगी थी। लेकिन इधर एक हपते से लगभग दस हजार मामले हर रोज दर्ज किए जाने लगे हैं। दूसरा खास बिंदु यह कि रिकवर या ठीक हो चुका मामला मरीजों में से क्या किसी में दोबारा बीमारी के लक्षण दिखे हैं, या यह कि उनमें से किसी ने क्या किसी अन्य व्यक्ति के संक्रमित किया है।

हम किसे मानते हैं।
सरकारी गाइडलाइन के
मुताबिक जो मरीज बहुत
कमज़ोर नहीं हैं उन्हें डिस्चार्ज
करने से पहले कोरोना टेस्ट के
लिए नहीं कहा जा रहा। यह
भी कि तीन दिन से बुखार न
रहा हो और कोई अन्य स्पष्ट
भी न हो तो घर पर क्वारंटीन का
देकर ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज
जाए। जाहिर है, ऐसे सभी
डिस्चार्जडरिकवर्ड लिस्ट में शामि-
ऐसी कोई स्टडी अभी नहीं आई
पता चले कि अस्पताल से डिस्चार्ज



तों में से क्या किसी में दोबारा बीमारी का विवरण दिखे हैं, या यह कि उनमें से किसी ने क्या किसी अन्य व्यक्ति को इसके संक्रमित किया है।

गाइडलाइंस में अगर किसी सुधार की जरूरत हुई तो वह इस छानबीन से निकली जानकारियों के बल पर ही संभव हो पाएगा। जहां तक भारत की मौजूदा स्थिति का सवाल है तो जापानी सिक्यूरिटीज रिसर्च फर्म नोमुरा इलिया स्टडी गौर करने लायक है। या के कुल 45 निवेश ठिकानों के स्टडी रिपोर्ट में वहां लॉकडाउन के क्रम में पैदा हो रही स्थितियों जायजा लिया गया है। रिपोर्ट भारत न 15 देशों में रखती है जो लॉकडाउन

हटाने के क्रम में अधिक खतरे की स्थिति में माने जा रहे हैं। बाकी 30 में से 17 देश ऐसे हैं जहां महामारी की दूसरी लहर आने की संभावना नगण्य है, जबकि 13 को खतरे से सजग रहने को कहा गया है।

सोध खतर में रखे गए अमरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देशों को लेकर यह अंदेशा भी जताया गया है कि यहाँ अनलॉकिंग के बाद संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे कुछ जगहों पर लॉकडाउन की वापसी जरूरी हो सकती है। ऐसा भला कौन चाहेगा? अनलॉकिंग के साथ देश में जिंदगी धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है। हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना होगा और हर जरूरी एहतियात बरतते हुए अनलॉकिंग को और आगे ले जाना होगा।

बारे में जानकार हैं, तो आप देखेंगे कि वह आपके लिए कुछ तरीकों से अच्छे हो सकते हैं। यदि शाराब जागरूकता के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो हम उसके द्वारा अपने शरीर एवं मस्तिष्क को प्रभावित करके दी गयी। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे नशीला पदार्थ हमें प्रभावित करने लगता है, मूल मस्तिष्क की स्पष्टता और कार्मिक मस्तिष्क की सुस्ती मिल जाती हैं।

संपादकीय

वैश्विक कृषि विशाल

इन सभी सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद, एक और बात जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ वह है भूमि पट्टा। यदि हम भूमि मालिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण किए बिना भूमि जोतों को एकत्र कर सकते हैं, तो हमारी उत्पादकता काफी बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए कि यदि हम सभी पस्थ भूखंडों को एकत्र कर सकते हैं तो क्या नहीं हासिल कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों में निवेश करना, आर्थिक समझ का पैमाना बढ़ावा देगा। ये परिवर्तन भारतीय किसानों के लिए क्या मायने रखते हैं? उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गाँव में रहने वाला किसान अब एक बटन के विलक पर दुनिया में कहीं भी अपने उत्पाद जमा कर सकेगा। बिचौलियों की एक श्रेणी द्वारा कृषि वस्तुओं को हड्डपने की व्यापक मध्यस्थता धीरे-धीरे गायब हो जाएगी और किसान अधिक आय और धन सृजन कर सकेंगे। वैश्विक कृषि विशाल है, और इसमें नई नौकरियों के अवसर खोलने की और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से नई खपत में तेजी लाने की क्षमता है। किसानों की उद्यमशीलता की भावना को देखते हुए, अगले तीन वर्षों में ताजे फल, आलू, प्याज और सब्जियों का उत्पादन चार गुना करना संभव है। बड़ी हुई उत्पादकता, बेहतर बाजार आसूचना और प्रौद्योगिकी के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा बाजार की ताकतें हमारे किसानों की आय को काफी हद तक सुनिश्चित करेंगी और उनमें बढ़ोत्तरी होगी। ये संरचनात्मक सुधार हमें विकास प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने, हमारे किसानों के जीवन को बदलने और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी प्रेरणा प्रदान करने में सक्षम करेंगे। इसका मतलब है कि बहुत से किसानों को अपनी जमीन और परिसंपत्ति को बैंक के पास जमानत के रूप में नहीं रखना पड़ेगा।

सफाई, छंटाई और भंडारण का सारा खर्च किसानों द्वारा दिया जाता था। थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता सीधे किसानों से नहीं खरीद सकते थे। किसानों के पास कोई मोलभाव करने का अधिकार नहीं था।

किसानों के अधिकारों की रक्षा

अमिताभ कांत |

अभी हाल ही तक भारतीय कृषकों को केवल निर्दिष्ट मंडियों में ही अपनी उपज बेचने की अनुमति थी। मंडी में, वे अपने कमीशन एजेंट (आढ़तिया) से संपर्क करते थे, जो उनकी फसल को बेचने में शुल्क लेकर सहायता करते थे। मंडी में विभिन्न आढ़तियों द्वारा आपस में कीमतें तय की जाती थीं और इन्हीं तय कीमतों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने का विकल्प होता था, परिणामस्वरूप खेती की लागत मुश्किल से कवर हो पाती थी। तब उनकी उपज को एक गुणवत्ता ग्रेड दिया जाता था, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। सफाई, छंटाई और भंडारण का सारा खर्च किसानों द्वारा दिया जाता था। थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता सीधे किसानों से नहीं खरीद सकते थे। किसानों के पास कोई मोलभाव करने का अधिकार नहीं था। किसानों के बचाव के लिए बनाई गई इस प्रणाली ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया किर भी, ये कानून यथावत बने रहे, जो जाहिर तौर पर निहित स्वार्थों से किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

इसका परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ता अधिक कीमत चुका रहे थे और किसानों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था। फसल के

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਪਾਂਤ ਕਰਾਲ ਕੇ ਲਿਏ ਬੜਦਲ ਗਈ। ਤਾਨ ਅਧਾਦਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ



आधार पर, किसानों को प्राप्त खुदरा कीमत का हिस्सा प्याज या टमाटर जैसी विकारी वस्तुओं के मामले में 28 प्रतिशत से लेकर गैर-विकारी वस्तुओं जैसे सोयबीन या मूँगफली के मामले 75 प्रतिशत तक था। चावल और गेंहू जैसे अनाज के मामले में, अंतर लगभग 50 प्रतिशत था। यह खंडित मूल्य श्रृंखला थी जिसके परिणामस्वरूप ये मूल्य अतराल थे। श्रृंखला में प्रत्येक लिंक मूल्य की वृद्धि करता था और प्रारम्भ में लिया गया मंडी शुल्क अतिरिक्त था। फसलों की अधिकता होने पर संकट में की गई बिक्री, बाजारों का एकाधिकार और व्यापारियों के बीच मिलीभगत सभी सामान्य प्रथाएं थीं।

निर्बाध व्यापार और कृषि उपज की आवाजाही की अनुमति मिली, अनुबंध खेती की शुरुआत हुई, जो किसानों के लिए कृषि उपज पर सुनिश्चित कीमतों का कारण बन सकती है, और अनाज, दाल, प्याज, आलू, खाद्य तेल और तिलहन को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाने हेतु संशोधन किया जा सकता है। केवल असाधारण समय के दौरान कुछ नियंत्रण किए जाएंगे। अत मैं, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए आमूल-चूल परिवर्तन होने की सम्भावना है। सरकार ने संरचनात्मक सुधारों के लिए सब्सिडी आधारित ट्रॉपिकोण में बदलाव किया है जो इस क्षेत्र की मांग रही थी। किसान अब अपनी फसल को पूर्व निर्धारित कीमतों पर मंडियों में बेचने के लिए बाध्य नहीं हैं। वे फार्मेट, कारखानों, गोदामों, कोष्ठागारों या कोल्ड स्टोरेज किसी को भी बिना किसी कमिशन के सीधे उपज बेच सकते हैं। भुगतान, वित्तीय समावेशन की दिशा में एक अभियान के दौरान खोले गए उनके बैंक खातों में किया जाएगा। यह पहली बार होगा जिससे किसान सशक्त बनेंगे। किसानों को अपन उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिलेंगे और उपभोक्ताओं को कम बिचौलीयी के कारण लाभ प्राप्त होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से वेयरहाउस, कोष्ठागारों, कोल्ड स्टोरेज में बड़े पैमाने पर निवेश होगा, जिससे उपज बेचने के लिए और अधिक बाजार बनेंगे।

સાંકોચ બગવાળ - 5384					*	❀	❀	❀	❀
5	9		8	3	2				
	2	4							8
3	8	5	2	6	1				
	7					9	5		
9	3	6		8	7				4
2	6						1		
	5	2	7	1		8	6		
6				4		7			
	8	9	6		4		2		

अपना ब्लॉग त्रहण प्राप्त करना
एक मुख्य द्विधि

मोहन। हमारे किसानों के लिए बुआई और कटाई की लागत को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त करना एक मुख्य दुविधा का विषय था। किसानों का एक बड़ा वर्ग ऋण के लिए आढ़तियों पर निर्भर रहता था। इससे निर्भरता का एक चक्र बन गया था, जिससे बाहर निकलना कई किसानों के लिए मुश्किल लग रहा था। कई रास्तों के माध्यम से बिक्री सक्षम करने के उद्देश्य से, सरकार ने डेटा संकलित करने और प्रसारित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया है। बैंक और अन्य औपचारिक ऋण देने वाले संस्थान अब ऋण देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार शहरों में लोगों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, किसान अब अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने की आशा कर सकते हैं क्योंकि इससे ब्याज दर में सुधार होगा और ऋणों का तेजी से प्रक्रमण होगा। जमानत मांगने के बजाय, बैंक अब नकदी प्रवाह के आधार पर किसानों को उधार दे सकते हैं।

